संख्या–1526 / सोलह–3–2015–15(92)2015

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ :दिनांक 14 सितम्बर, 2015

विषयः–''**सक्षम बालिका–सम्पन्न परिवार योजना ''के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों के सापेक्ष प्रवेशित बालिकाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण तकनीकी शिक्षा के प्रति बालिकाओं को आकर्षित किये जाने की दृष्टि से महिला सशक्तीकरण को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त **''सक्षम बालिका–सम्पन्न परिवार योजना''** को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना के मुख्य निम्नवत् अंग हैंः–

(1) **मेधावी छात्राओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजना ।**
(2) **राजकीय महिला पालीटेक्निकों में नये रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का प्रारम्भ किया जाना ।**
(3) **राजकीय एवं अनुदानित महिला पालीटेक्निको में छात्राओ के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू किया जाना।**
(4) **पालीटेक्निक संस्थाओ में इंस्टीट्यूट इण्डस्ट्रीज इन्टरैक्शन सेल को सक्रिय किया जाना।**
(5) **तकनीकी शिक्षा की ओर बालिकाओं को आकर्षित किये जाने हेतु प्रचार अभियान का प्रारम्भ किया जाना।**
(6) **प्रत्येक मण्डल में राजकीय महिला पालीटेक्निक तथा प्रत्येक पालीटेक्निक में महिला छात्रावास की स्थापना।**

2. वर्तमान में 18 राजकीय/अनुदानित महिला पालीटेक्निक संस्थाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राजकीय पालीटेक्निकों में बालिकाओं हेतु प्रवेश में 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं।

अपर निदेशक (A)

G0@ds

निदेशक
10/9/15

गत वर्षों में पाया गया है कि राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश हेतु बालिकाओं के लिए आरक्षित स्थान बड़ी संख्या में रिक्त रह जाते हैं। गत तीन शैक्षिक सत्रों में प्रदेश में संचालित राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं की संख्या, उनकी कुल प्रवेश क्षमता, बालिकाओं हेतु आरक्षित स्थान, प्रवेशित बालिकाओं की संख्या एवं बालिकाओं हेतु आरक्षित स्थानों के सापेक्ष प्रवेशित बालिकाओं का प्रतिशत निम्न तालिका में दिया गया है :–

क्रं0 सं0	शैक्षिक सत्र	राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं की संख्या	प्रवेश क्षमता	बालिकाओं हेतु आरक्षित स्थान	प्रवेशित बालिकाएं	बालिकाओं हेतु आरक्षित स्थान के सापेक्ष प्रवेशित बालिकाओं का प्रतिशत
1.	2012–13	97	37320	12908	5973	46.27
2.	2013–14	110	37320	12524	6323	50.49
3.	2014–15	118	37770	12614	6361	50.43

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि संस्थाओं में बालिकाओं हेतु उपलब्ध स्थान के सापेक्ष प्रवेशित बालिकाओं की संख्या लगभग आधी ही रहती है और लगभग आधे स्थान रिक्त रहते हैं एवं **कुल प्रवेश क्षमता के सापेक्ष लगभग 16.5% स्थानों पर बालिकाएं प्रवेश लेती हैं।** स्पष्ट है कि बालिकाओं का रूझान तकनीकी शिक्षा की ओर अधिक नहीं है। इसके निम्न कारण हो सकते हैं :–

(1) तकनीकी शिक्षा के प्रति बालिकाओं का रूझान कम होना।
(2) बालिकाओं हेतु स्थापित राजकीय पालीटेक्निकों में संचालित पाठ्यक्रमों का रोजगारपरक न होना।
(3) राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची के माध्यम से प्रवेश दिये जाने पर बालिकाओं को उनके गृह जनपद में स्थान उपलब्ध न हो पाना।

3. उपरोक्त समस्याओं के निदान हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा सक्षम बालिका–सम्पन्न परिवार योजना संचालित की जायेगी, जिसके मुख्य अंगों का विस्तृत विवरण निम्नवत् है:–

(1) मेधावी छात्राओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजना :–

- इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को उनकी वार्षिक परीक्षा के परीक्षा

परिणाम के आधार पर नकद धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जायेगी। प्रत्येक राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक संस्था के प्रत्येक पाठ्यक्रम में वार्षिक परीक्षा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाली हर बालिका को प्रोत्साहन स्वरूप रू0 10,000/– की धनराशि प्रदान की जायेगी। प्रथम वर्ष में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को अध्ययन के द्वितीय वर्ष में तथा द्वितीय वर्ष में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को अध्ययन के तृतीय वर्ष में उक्त धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जायेगी।

- योजना शैक्षिक सत्र 2015–16 से सभी राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में लागू की जायेगी।
- प्रथमतः यह योजना 05 वर्ष के लिए लागू की जायेगी। 05 वर्ष के पश्चात इस योजना की समीक्षा की जायेगी और उसके उपरान्त योजना को आगे चालू रखे जाने के सम्बन्ध में यथासमय यथोचित निर्णय लिया जायेगा।
- इस योजना पर आने वाला व्ययभार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ की बचतों से किया जायेगा।
- उक्त प्रोत्साहन धनराशि बालिकाओं के बैंक खाते के माध्यम से उन्हें प्रदान की जायेगी।
- उक्त प्रोत्साहन धनराशि उन्हीं छात्राओं को ही अनुमन्य होगी जिन्होंने प्रथम प्रयास में ही परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं वह सभी विषयों में पास हों तथा कृपांक या बैक पेपर से उत्तीर्ण छात्राएं इस योजना में शामिल नहीं की जायेंगी।
- इस योजना को लागू किये जाने हेतु प्रत्येक राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निकों के प्रधानाचार्य, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने के 30 दिन के भीतर अपनी संस्था में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओ का विवरण संलग्न प्रारूप–1 में संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक को उपलब्ध करायेगें।
- उपर्युक्त संलग्न प्रारूप–1 पर प्रधानाचार्यो से सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर प्रधानाचार्यो द्वारा प्रेषित सूचना का परीक्षण कर अपनी संस्तुति सहित विवरण क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0 द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा को संलग्न प्रारूप–2 में उपलब्ध कराया जायेगा।
- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर, समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना को संकलित कर अपनी संस्तुति के

संस्था प्रपत्र–2 में समस्त विवरण सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ कार्यालय को विवरण 30 सितम्बर तक उपलब्ध करायेंगे।

- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर के कार्यालय से सभी राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं की संकलित सूचना प्राप्त होने के उपरान्त सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ कार्यालय द्वारा 31 अक्टूबर तक सभी छात्राओं के बचत खातों में प्रोत्साहन राशि हस्तान्तरित कर दी जायेगी।

(2) **राजकीय महिला पालीटेक्निकों में नये रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का प्रारम्भ किया जाना :**

राजकीय महिला पालीटेक्निकों में संचालित कई पाठ्यक्रम रोजगारपरक नहीं हैं। फलस्वरूप यह पाया गया है कि एक ही शहर में स्थित महिला पालीटेक्निक के कतिपय पाठ्यक्रमों के प्रवेश के स्थान रिक्त रह जाते हैं, जबकि उसी शहर में स्थित सह–शिक्षा पालीटेक्निक में अन्य पाठ्यक्रमों में बालिकाएं प्रवेश लेती हैं। अतः महिला पालीटेक्निक संस्था में वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों की समीक्षा किया जाय और बालिकाओं की बदलती हुई रूची के अनुसार कई रोजगारपरक पाठ्यक्रम महिला पालीटेक्निक संस्थाओं में संचालित कराया जायेगा जिनमें कोर पाठ्यक्रम के अतिरिक्त निम्न पाठ्यक्रम भी शामिल होंगेः–

1. मार्डन आफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस (दो वर्षीय)
2. डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन (दो वर्षीय)
3. पी0जी0 डिप्लोमा इन एडवरटाइजिंग एण्ड पब्लिक रिलेशन (एक वर्षीय)
4. पी0जी0 डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइन (एक वर्षीय)
5. पी0जी0 डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी (एक वर्षीय)
6. पी0जी0 डिप्लोमा इन ब्यूटी एण्ड हेल्थ केयर (एक वर्षीय)

उक्त के अतिरिक्त एक व दो वर्षीय नये पाठ्यक्रम यथा–फूड प्रोसेसिंग, बेकरी, रिसेप्शिनिस्ट आदि पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या तैयार करके इन्हें राजकीय महिला पालीटेक्निक संस्थाओं में संचालित किया जाये।

उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक प्रस्ताव निदेशालय यथासमय शासन को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति हेतु भेजेगा।

(3) **राजकीय एवं अनुदानित महिला पालीटेक्निकों में छात्राओं के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू किया जाना :**

स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 से जन्म से 19 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण हेतु राष्ट्रीय बाल

स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत **बच्चों में 4 Ds- Birth Defects, Deficiency, Disease and Disability के दृष्टिगत स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं संदर्भन सुनिश्चित किया जाना है।** विभिन्न पालीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत अधिकतर छात्र–छात्राएं कक्षा–10 उत्तीर्ण किये जाने के उपरान्त प्रवेश लेते हैं और प्रवेश के समय उनकी आयु 15 से 17 वर्ष के बीच होती है। अतः स्वास्थ्य विभाग की इस योजना को सभी राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में लागू किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक पालीटेक्निक संस्था स्तर पर एक वरिष्ठ शिक्षक को इस योजना का नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जो जिला स्वास्थ्य अधिकारियों से सम्पर्क कर योजना को पालीटेक्निक संस्थाओं में लागू किये जाने हेतु उत्तरदायी होगा।

(4) **पालीटेक्निक संस्थाओं में इंस्टीट्यूट इण्डस्ट्रीज इन्टरैक्शन सेल को सक्रिय किया जाना :**

विभिन्न पालीटेक्निक संस्थाओं में विभाग में पूर्व में संचालित विश्व बैंक योजना (वर्ष 1989 से 1998 तक) के अन्तर्गत इंस्टीट्यूट इण्डस्ट्रीज इन्टरैक्शन सेल (I.I.I. Cell) की स्थापना की गई थी। इस सेल के माध्यम से पालीटेक्निक संस्थाओं के प्रधानाचार्य अपनी संस्था के आस–पास मौजूद विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों से सम्पर्क स्थापित करके औद्योगिक प्रतिष्ठानों की तकनीक से सम्बन्धित आवश्यकताओं के आंकलन के साथ–साथ औद्योगिक प्रतिष्ठानों को Technical Know-how भी प्रदान करते थे। संस्था में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के औद्योगिक भ्रमण (Industrial Tour) तथा उनके लिए ग्रीष्मावकाश प्रशिक्षण (Summer Training) की व्यवस्था इस सेल के सहयोग से की जाती थी। साथ ही छात्र–छात्राओं को प्रोजेक्ट के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों की वास्तविक समस्याओं को विषय के रूप में चुनने में सहायता मिलती थी।

वर्तमान में पालीटेक्निक संस्थाओं में इंस्टीट्यूट इण्डस्ट्रीज इन्टरैक्शन सेल (I.I.I. Cell) सक्रिय नहीं हैं। उन्हें पुनः सक्रिय किया जाएगा। प्रदेश के लगभग हर जनपद में पालीटेक्निक संस्थाएं वर्तमान में संचालित हो रही हैं अथवा निकट भविष्य में संचालित होने वाली हैं। संस्था प्रधानाचार्यों का यह दायित्व होगा कि वह अपनी संस्था के आस–पास स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानों का सर्वे कर उनका पूरा विवरण संकलित करें तथा इंस्टीट्यूट इण्डस्ट्रीज इन्टरैक्शन सेल (I.I.I. Cell) के माध्यम से छात्रों एवं छात्राओं को भी रोजगार

प्रदान करने हेतु औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्धन को प्रेरित करने का प्रयास कर इस सत्र के माध्यम से छात्राओं हेतु उन्हीं के जनपद में Summer Training का प्रबन्ध किया जायेगा।

(5) **तकनीकी शिक्षा की ओर बालिकाओं को आकर्षित किये जाने हेतु प्रचार अभियान का प्रारम्भ किया जाना :**

तकनीकी शिक्षा की ओर बालिकाओं को आकर्षित किये जाने हेतु प्रति वर्ष माह नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी एवं फरवरी में बालिका हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अन्तर्गत प्रचार सामग्री तैयार की जायेगी और विभिन्न जनपदों में स्थापित राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं के प्रधानाचार्य अपने संस्थान के स्टाफ के सहयोग से यह प्रचार अभियान चलायेंगे एवं छात्राओं की बैठकें आयोजित करेंगे। अभियान के समन्वय का कार्य शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर द्वारा किया जायेगा। उक्त योजना कियान्वयन हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा करायी जायेगी।

(6) **प्रत्येक मण्डल में राजकीय महिला पालीटेक्निक तथा प्रत्येक पालीटेक्निक में महिला छात्रावास की स्थापना**

वर्तमान में प्रदेश के कुल 18 मण्डलों में से 06 मण्डल ऐसे हैं (आगरा, कानपुर, देवीपाटन, विन्ध्याचल, बस्ती एवं अलीगढ़ मण्डल) जहाँ पर राजकीय महिला पालीटेक्निक स्थापित नहीं हैं। इन सभी राजकीय महिला पालीटेक्निक विहीन मण्डलों में राजकीय महिला पालीटेक्निक स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

पालीटेक्निक संस्थाओं में बालिकाओं को आकर्षित किये जाने हेतु संस्था में बालिका छात्रावास का होना नितान्त आवश्यक है। इस योजना के अन्तर्गत जिन संस्थाओं में बालिका छात्रावास वर्तमान में संचालित नहीं है, उन सभी संस्थाओं में कालान्तर में न्यूनतम् 60 सीट की क्षमता के महिला छात्रावास का निर्माण करवाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेगें।

यह भी प्रयास होगा कि कालान्तर में हर मण्डल में एक महिला पालीटेक्निक उपलब्ध हो जाए तथा हर राजकीय पालीटेक्निक संस्था में बालिका छात्रावास की सुविधा उपलब्ध हो जाए।

उक्त योजना के लिए बजट प्रावधान हेतु निदेशालय हर वर्ष समय से प्रस्ताव भेजेगा

उक्त योजना का प्रभावी कियान्वयन एवं अनुश्रवण समयबद्ध एवं सुचारू रूप से किया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी समय–समय पर अवगत करायें।

भवदीया,

15/9

(मोनिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव ।

<u>संख्या एवं दिनांक–तदैव–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त योजना का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करायें।
2. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त परियोजना के सुचारू संचालन हेतु यथा आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग (द्वारा निदेशक)।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, को प्रमुख सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
5. प्राविधिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन के समस्त अधिकारी।
6. वित्त(व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–11
7. प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1/2

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र)
उप सचिव

G0@ds

प्रारूप–1 सक्षम बालिका – सम्पन्न परिवार योजना

संस्था का नाम .....

क्र0 सं0	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं के नाम	पिता का नाम	वार्षिक परीक्षा– का परिणाम *			छात्रा का बचत बैंक खाते का विवरण **		
				पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत	बैंक का नाम व पता	IFSC कोड	बचत खाता संख्या
		1. 2. 3.							

हस्ताक्षर प्रधानाचार्य

* छात्रा के अंक पत्र की प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

** छात्रा के बैंक बचत खाता की पासबुक की प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

प्रारूप–2 सक्षम बालिका – सम्पन्न परिवार योजना

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं के नाम	पिता का नाम	वार्षिक परीक्षा– का परिणाम			छात्रा का बचत बैंक खाते का विवरण		
				पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत	बैंक का नाम व पता	IFSC कोड	बचत खाता संख्या
		1. 2. 3.							

हस्ताक्षर संयुक्त निदेशक/निदेशक